उत्तराखण्ड राज्य दो डिवीजन को मिलकर बना है। एक कुमायूं और एक गढ़वाल डिवीजन है। पर्वतीय भू-भाग होने की वजह से दोनों के बीच बहुत ज्यादा दूरियां हैं। पहले जब सन् 1970-71 में यह स्वीकृति दी गयी, तब एक ही विश्वविद्यालय उत्तराखंड विश्वविद्यालय के नाम से था, परंतु भौगोलिक विषमता और जनता के आंदोलन के कारण सन् 1973 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दो विश्वविद्यालय बनाए गए, एक कुमायूं विश्वविद्यालय और दूसरा हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय।

महोदय, कुमायूं डिवीजन में छः जिले हैं। अभी पूरी उच्च शिक्षा का दायित्व कुमायूं विश्वविद्यालय पर है और गढ़वाल के सात जनपदों का हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय पर है। अभी जो विश्वविद्यालय विधेयक पेश हुआ है, इसमें जो जूरिस्डिक्शन आफ यूनिवर्सिटीज जो दिया गया है, उसमें उसका जुरिस्डिक्शन गढ़वाल डिवीजन के सात जिलों तक ही है, जबकि उत्तराखंड के शेष छः जिले कुमायूं डिवीजन के भीतर हैं। दोनों विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग राज्य सरकार व विश्वविद्यालय प्रशासन और वहां की जनता के द्वारा लंबे समय से की जा रही है और दोनों विश्वविद्यालय केन्द्रोय विश्वविद्यालय के मानक भी पूरा करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में इस समय चार केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं और पूर्वोत्तर में छः केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, अतः उत्तराखंड के कुमायूं विश्वविद्यालय को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने की मांग करता हूं ताकि कुमायूं क्षेत्र में भी उच्च शिक्षा का उन्नयन और अनुसंधान हो सके और कुमायूं डिवीजन के छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। इसके साथ ही यह भी मांग करता हूं कि जो दूसरी अनुपूरक सूची के द्वारा विश्वविद्यालय विधेयक, 2008 प्रस्तुत किया गया है, उसे एचआरडी मिनिस्ट्री की जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है, वहां भेजा जाए और हमारी इस मांग को भी उसमें समाहित किया जाए। कुमायूं विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए विधेयक में संशोधन किया जाए।

MR. DEPUTY SPEAKER: Next is Shri M. Shivanna — not present

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं सभी को मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री संतोष गंगवार (बरेली): महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सागर से हमारे लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य श्री वीरेन्द्र कुमार जी हैं। वे अपने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को उठाते रहते हैं और समस्याओं के लिए लड़ाई भी लड़ते हैं।

दिनांक तीन तारीख को रेल विभाग में कुछ अतिक्रमण के ऊपर उन्होंने कार्रवाई करने का प्रयास किया। उन्होंने रेल अधिकारियों से बात की, सम्पर्क किया और यह कहा कि अगर यह अतिक्रमण है तो चार-पांच दिन बाद सबको जानकारी देकर, कई दुकानों का मामला था, कार्रवाई की जाये। दुर्भाग्य है कि रेल अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए समस्या काफी गंभीर हो गयी। तब श्री वीरेन्द्र कुमार जी स्वयं पैदल चलकर उस स्थान पर गये। वहां जाने के बाद जब उन्होंने समस्या देखी, तो उन्हें लगा कि रेल विभाग एकतरफा कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने उसे रोकने का काम किया, लेकिन वहां जो आरपीएफ के लोग थे, उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि वहां आरपीएफ के मौजूद टीआई श्री विवेक शर्मा ने अपने साथियों के साथ बहुत ही बुरे तरीके से वीरेन्द्र कुमार जी की पिटाई लगाई। श्री वीरेन्द्र कुमार आज यहां आये थे, लेकिन वे बोलने की स्थिति में नहीं हैं। वे कल सुबह भी यहां आये थे। हमने लोक सभा के माननीय अध्यक्ष जी को लिखकर दिया है कि यह बहुत ही गंभीर विषय है कि वे अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हमारा आग्रह है कि उनके इस मसले को प्रिविलेज कमेटी को तत्काल भेजा जाये और जो संबंधित अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ तुरंत प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राकेश सिंह, श्री गिरधारी लाल भार्गव और श्री पी.एस. गढ़वी भी इस विषय के साथ अपने को संबद्ध करते हैं।

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। देश में सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए, विशेष रूप से वाहनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्हीकल फैक्टरीज की स्थापना की गयी थी और ये व्हीकल फैक्टरीज आर्डिनैंस फैक्टरी बोर्ड की ही प्रोडक्शन यूनिट हैं। इन्हीं फैक्टरीज द्वारा देश में सेना को जोंगा, निशान और शक्तिमान जैसे वाहन पहले प्रदान किये गये। आधुनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्हीं फैक्टरीज द्वारा अशोक लीलैंड और टाटा कम्पनियों से टैक्नोलॉजी ट्रांसफर द्वारा एलपीटीए और स्टेलियन जैसे वाहन हजारों